सेवा मतदाताओं
के लिए पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया
जानकारी सहायता पुस्तिका

Service Brochure - Hindi-20-10.indd 1 25-10-2017 13:09:16

सेवा मतदाता कौन है

1

भारत
की सशस्त्र
सेनाओं में सेवारत

2

सेना
अधिनियम 1950
के अन्तर्गत बल (असम
राइफल्स, सीआरपीएफ बीएसएफ,
आईटीबीपी, सीमा सड़क
संगठन में जीआरईएफ कार्मिक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा
बल आदि)

3

जो
भारत सरकार
के अधीन नियुक्त
किए गए हों किंतु
उनकी तैनाती भारत
के बाहर हो

4

राज्य
के सशस्त्र पुलिस
बल के सदस्य, जो उस
राज्य से बाहर तैनात हों

*यदि सेवा मतदाता की पत्नी, साधारण रूप से उसके साथ निवास करती है तो वह भी सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत हो सकती है

* विधि के अधीन महिला सेवा मतदाता के पति को फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

Service Brochure - Hindi-20-10.indd 2 25-10-2017 13:09:19

मतदाता नामावली में पंजीकरण

सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाएं

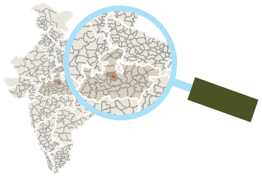

अपने निवास के जिले/ राज्य में अपने चुनाव क्षेत्र का नाम ढूंढें।

www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें अथवा फॉर्म डाउनलोड करें।

निम्नलिखित फॉर्म की दो प्रतियां भरें:

- सशस्त्र सेनाओं के लिए **फॉर्म – 2**
- सशस्त्र पुलिस बल के लिए **फॉर्म – 2क**
- विदेश में सेवारत सरकारी अधिकारियों के लिए **फॉर्म – 3**

घोषणापत्र भरें और इसे रिकॉर्ड कार्यालय या नोडल अधिकारी के पास जमा कराएं।

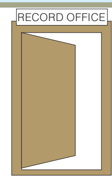

सेवा मतदाता की पत्नी को उसके पति द्वारा फार्म में दिए गए घोषणापत्र के आधार पर सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत किया जाएगा। पत्नी को अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

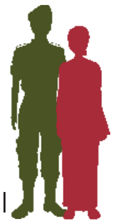

या सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं

यदि आप **"पीस (Peace) स्टेशन"** पर तैनात है तो आप वहाँ सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं।

आप चाहे तो अपने स्थायी निवास स्थान पर सेवा मतदाता बने रह सकते हैं या तैनात स्थान पर सामान्य मतदाता बन सकते हैं।

परंतु, याद रखें कि यदि आप पहले से सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पहले सेवा मतदाता के रूप में अपना नाम हटवाएं। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

Service Brochure - Hindi-20-10.indd 3 25-10-2017 13:09:21

अपना बहुमूल्य मत डालें : पोस्टल बैलट को कैसे भरें

सेवा मतदाता

जब आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होंगे, रिटर्निंग अधिकारी (RO) आपको पोस्टल बैलट (Postal Ballot) भेजेंगे। पोस्टल बैलट के साथ दो लिफाफे, एक घोषणापत्र, वोट विधि के निर्देश भी भेजे जायेंगे।

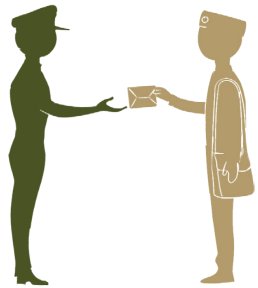

पोस्टल बैलट पर अपनी पसंद के एक उम्मीदवार के नाम के सामने स्पष्ट निशान X या ✓ लगाएं। यदि वह निशान आपके विकल्प को स्पष्ट नहीं करे तो आपका वोट अमान्य हो जाएगा।

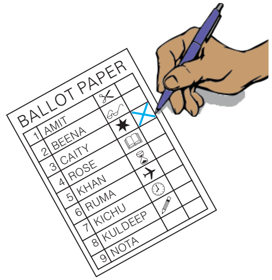

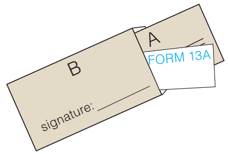

घोषणापत्र और बैलट वाले "A" चिह्नित छोटे लिफाफे को "B" चिह्नित बड़े लिफाफे में डालें जिस पर RO का पता पहले से लिखा होगा।

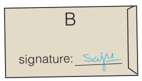

"B" लिफाफे पर निर्धारित स्थान पर अपने पूरे हस्ताक्षर करें। अगर छोटे लिफाफे (**फॉर्म – 13B**) पर दिए गए कॉलम में RO ने बैलट पर दी गयी क्रम संख्या नहीं लिखी है, तो बैलट से देखकर ये संख्या लिखें।

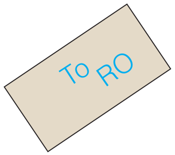

बड़ा लिफाफा बंद करने के पश्चात इसे डाक या Messenger से RO को भेजें।

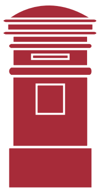

पोस्टल बैलट पर भारत में किसी प्रकार का डाक शुल्क नहीं है। ध्यान रखें, पोस्टल बैलट वोटों की गिनती के प्रारंभ से पहले RO तक पहुंच जाये। वोटों की गिनती की तारीख अनुदेश पत्र में दी जाएगी।

Service Brochure - Hindi-20-10.indd 4 25-10-2017 13:09:22

पोस्टल बैलट पर अपना वोट रिकॉर्ड करने के अलावा अन्य कोई निशान, कोई शब्द या हस्ताक्षर न करें।

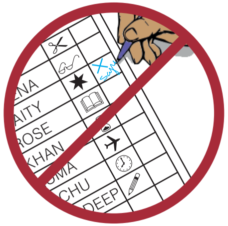

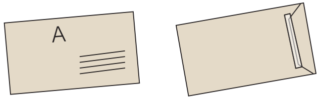

अपना वोट दर्ज करने के बाद, पोस्टल बैलट को "A" चिह्न वाले छोटे लिफाफे में डालें; लिफाफा बंद करें और सील करें।

नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में **फॉर्म – 13A** में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें। याद रखें पोस्टल बैलट की क्रम संख्या घोषणापत्र में निर्धारित जगह पर भरें।

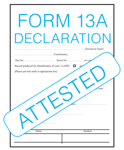

अधिकारी आपके हस्ताक्षर का सत्यापन (attest) करेंगे और घोषणापत्र आपको वापस देंगे; अपना पोस्टल बैलट अधिकारी को न दिखाएं और न ही उन्हें बताएं कि आपने किसे वोट किया है।

आपका वोट अमान्य माना जाएगा यदि:

- ✓ यदि आप एक से अधिक उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं।
- ✓ यदि आप दो नामों के मध्य में निशान लगा देते हैं जो आपकी पसंद को स्पष्ट नहीं करता।
- ✓ यदि पोस्टल बैलट पर आप अपने हस्ताक्षर कर देते हैं या कोई शब्द या निशान बना देते हैं।
- ✓ यदि लिफाफा सील/चिपकाया नहीं गया है।
- ✓ अगर बड़ा लिफाफा खोलने पर घोषणापत्र **फॉर्म – 13A** नहीं पाया जाये।
- ✓ यदि **फॉर्म – 13A** में घोषणापत्र पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं या सक्षम अधिकारी ने सत्यापन (attest) नहीं किया है।

Service Brochure - Hindi-20-10.indd 5
25-10-2017 13:09:23

Electronically Transmitted Postal Ballot (ETPB) द्वारा मतदान

जब आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होगें, आपको आपका मतपत्र, जिसमें आपके सभी विवरण भरे होगें, इलेक्ट्रॉनिकली (electronically) प्राप्त होगा। आपको एक ओ.टी.पी (OTP) प्रदान किया जाएगा ताकि आप अपना ETPB डाउनलोड (download) कर सकें।

ETPB के साथ आपको तीन अन्य चीजें भी मिलेगी।

1. घोषणापत्र (**फॉर्म – 13A**)
2. कवर A (**फॉर्म – 13B**) – इसे काटकर छोटे लिफाफे (माप 4"x9") पर चिपकाना है।
3. कवर B (**फॉर्म – 13C**) – इसे काटकर बड़े लिफाफे (माप 4.75"x11") पर चिपकाना है।

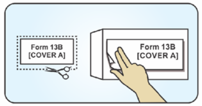

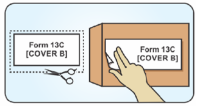

आगे की कार्यवाही हेतु पेज–4 का अनुसरण करें।

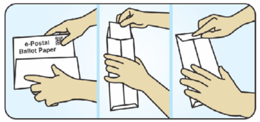

अपना वोट दर्ज करने के बाद, ETPB को मोड़कर छोटे लिफाफे (कवर A) में डाले। लिफाफे को अच्छी प्रकार से बंद करें और सील करें।

नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में **फॉर्म – 13A** में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें।

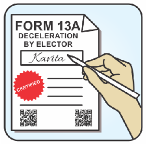

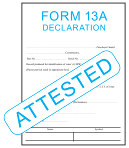

अधिकारी आपके हस्ताक्षर का सत्यापन (attest) करेगें और घोषणापत्र आपको वापस कर देगें।

अब घोषणापत्र (**फॉर्म – 13A**) और ETPB वाले 'कवर A' चिह्नित छोटे लिफाफे को 'कवर B' चिह्नित बड़े लिफाफे में डाले और लिफाफा अच्छी प्रकार से बंद करे और सील करें।

'कवर B' चिह्नित लिफाफे पर अपने पूरे हस्ताक्षर करें। अब इसको डाक या Messenger से RO को भेंजें।

वर्गीकृत सेवा मतदाता

अगर आप सेवा मतदाता है और सशस्त्र सेना या सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत किसी बल में है तो आप वर्गीकृत सेवा मतदाता के रूप में अपने प्रतिनिधि (Proxy) के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं अर्थात् आप अपने स्थान पर किसी और को वोट करने के लिए चुन सकते हैं।

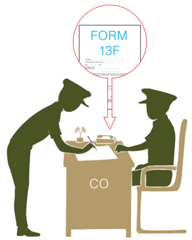

फॉर्म – 13F भरें अपने सीओ (CO) से सत्यापन (attest) करवाएं और इसे अपने प्रतिनिधि को भेजें। प्रतिनिधि को **फॉर्म – 13F** पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर करने होंगे।

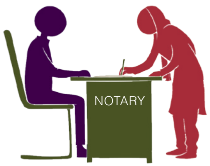

आपका प्रतिनिधि (Proxy) रिटर्निंग अधिकारी (RO) को फार्म जमा करा सकता है।

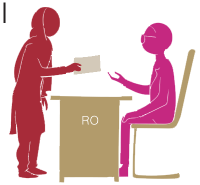

यदि आप अपने गृह नगर (छुट्टी) में हैं तो आप और आपका प्रतिनिधि (Proxy) दोनों नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष **फॉर्म – 13F** पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उसे RO को भेज सकते हैं।

ध्यान रखें, राजनैतिक उम्मीदवार द्वारा नामांकन की अंतिम तारीख से पहले RO को **फॉर्म – 13F** का आवेदन मिल जाना चाहिए (यानि चुनाव से लगभग 16 दिन पहले)।

आपका प्रतिनिधि (Proxy) उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो, चाहे वह मतदाता के रूप में पंजीकृत न भी हो परंतु मतदाता बनने के लिए अयोग्य (disqualified) नहीं होना चाहिए।

याद रखें, एक बार नियुक्त हो जाने पर आपका प्रतिनिधि (Proxy) तब तक बना रहेगा जब तक उसकी नियुक्ति आप रद्द नहीं कर देते।

प्रतिनिधि (Proxy) को बदला जा सकता है; आप RO को **फॉर्म – 13G** में फिर से पोस्टल बैलट का आवेदन दे सकते हैं।

आपका प्रतिनिधि (Proxy) आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर वोट करेगा।

सामान्य मतदाता (यदि आप पीस स्टेशन पर तैनात हैं)

आप अपनी तैनाती के स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर खुद वोट कर सकते हैं।

Service Brochure - Hindi-20-10.indd 7
25-10-2017 13:09:25

ध्यान रखें

जबकि सेवा मतदाता की पत्नी, सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत हो सकती है, पति/पुत्र/पुत्री को सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

छोटे लिफाफे में केवल पोस्टल बैलट ही रखा जाना है, इस में घोषणापत्र 13A न डालें; छोटे लिफाफे सहित घोषणापत्र को बड़े लिफाफे के अन्दर रखा जाना चाहिए।

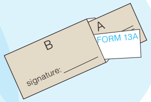

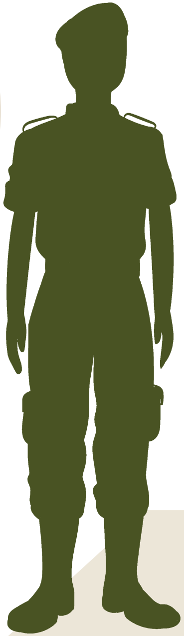

आप नियुक्ति के स्थान पर सामान्य मतदाता के रूप में भी पंजीकृत हो सकते हैं यदि वह स्थान पीस (**Peace**) स्टेशन है, किन्तु याद रखें कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता – जब आप सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण कराते हैं तो आपको घोषणापत्र जमा करना होगा कि आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

अत: आज ही www.servicevoter.nic.in पर अपना पंजीकरण कराएं...

तालि आप अगले चुनावों में मतदान कर सकें!

संपर्क करें:

www.servicevoter.nic.in के अलावा **www.ecisveep.nic.in** पर भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं व अन्य सूचनाएँ और अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
हेल्पलाइन: 1950